अध्याय–1: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय छत्तीसगढ़ (छ.ग.) शासन की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, बकाया करों[1] जो वसूली हेतु लंबित है का विश्लेषण, लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया और इससे निपटने के लिए विभागीय तंत्र प्रस्तुत करता है।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा करेतर राजस्व, राज्य को दिये गये विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से का निवल आगम एवं सहायता अनुदान जो भारत सरकार से वर्ष 2013–18 के दौरान प्राप्त हुए, **तालिका 1.1** में वर्णित है:

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

स. क्र	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1.	राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व					
	• कर राजस्व	14,342.71	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	**10.04**	**9.51**	**8.71**	**10.95**	**5.01**
	• करेतर राजस्व	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	**10.51**	**–3.36**	**5.78**	**8.71**	**11.84**
	योग	**19,443.88**	**20,637.17**	**22,289.65**	**24,614.46**	**26,235.10**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम	7,880.22	8,363.03	15,716.47	18,809.16	20,754.81[2]
	• सहायता अनुदान[3]	4,726.16	8,987.81	8,061.59	10,261.63	12,657.17
	योग	**12,606.38**	**17,350.84**	**23,778.06**	**29,070.79**	**33,411.98**
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	**32,050.26**	**37,988.01**	**46,067.71**	**53,685.25**	**59,647.08**
4.	1 का 3 से प्रतिशत	**61**	**54**	**48**	**46**	**44**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

---

1 वाणिज्यिक कर, आबकारी, ऊर्जा, परिवहन, पंजीयन और खनिज साधन विभाग

2 विस्तृत विवरण के लिए कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2017–18 के वित्त लेखे में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण पत्र क्रमांक 14 ''कर राजस्व'' देखें। लघु शीर्ष 901– राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सो के आंकड़ें, जो वित्त लेखे में 'क–कर राजस्व' के अंतर्गत लेखांकित है, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष 0005– केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008– एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021– आय पर निगम कर से भिन्न कर, 0032–धन कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघ उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045– वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित है, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

3 केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा हो, को वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य स्थानांतरण/अनुदान (इसमे भारत सरकार से प्राप्त वस्तु एवं सेवा कर पर क्षतिपूर्ति भी शामिल) है।

तालिका 1.1 दर्शाती है कि कर राजस्व और करेतर राजस्व के संबंध में औसत वार्षिक विकास दर 2013–18 के दौरान क्रमशः 8.84 प्रतिशत और 6.70 प्रतिशत थी।

वर्ष 2017–18 के राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन **चार्ट 1.1** में दिया गया है:

चार्ट 1.1: राज्य के राजस्व का विच्छेद

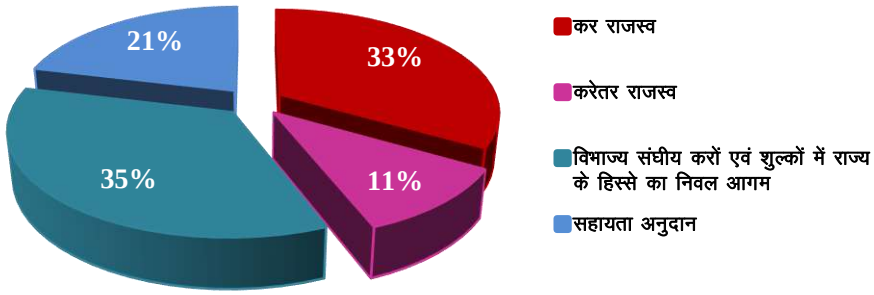

1.2.2 वर्ष 2017–18 के लिए कर राजस्व के विभिन्न विच्छेदों का चित्रमय प्रदर्शन **चार्ट 1.2** में दिया गया है:

चार्ट 1.2: वर्ष 2017–18 के कर राजस्वों का विच्छेद (₹ करोड़ में)

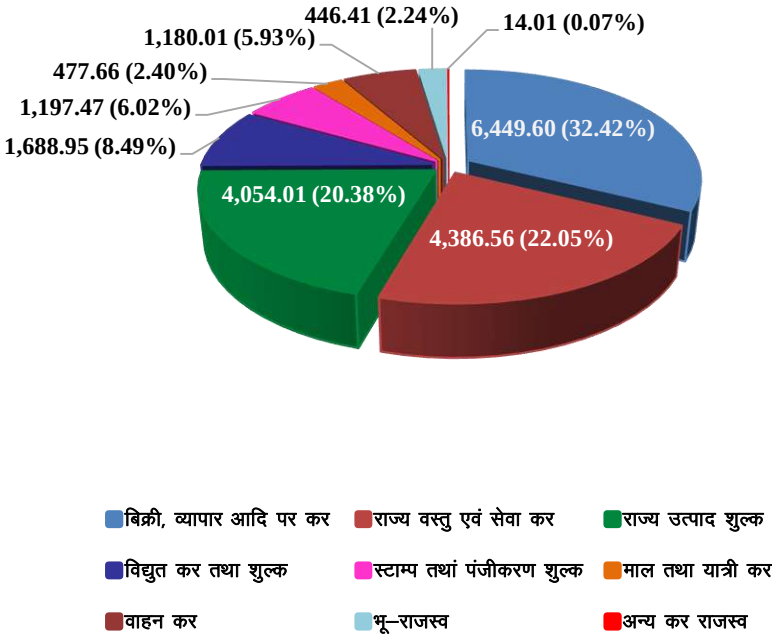

प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान (ब.अ.), वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित ब.अ. और 2013–18 की अवधि के दौरान संग्रहीत कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ **तालिका 1.2** में दी गई है:

तालिका 1.2: शासन द्वारा संग्रहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 वृद्धि (+) या कमी (–) का प्रतिशत	वर्ष 2017–18 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	**प्रस्तावित ब.अ.**	8,010.49	9,118.94	9,270.93	10,198.02	10,441.02		
		अनुमोदित ब.अ.	8,436.00	9,800.00	10,998.00	11,928.37	13,444.70		
		वास्तविक	7,929.51	8,428.61	8,908.36	9,927.21	6,449.60		
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर[4]	**प्रस्तावित ब.अ.**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
		अनुमोदित ब.अ.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3,212.82		
		वास्तविक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	**4,386.56[5]**		
उप–योग (1 एवं 2)		**प्रस्तावित ब.अ.**	**8,010.49**	**9,118.94**	**9,270.93**	**10,198.02**	**10,441.02**		
		अनुमोदित ब.अ.	**8,436.00**	**9,800.00**	**10,998.00**	**11,928.37**	**16,657.52**	**(+)9.16**	**लागू नहीं[6]**
		वास्तविक	**7,929.51**	**8,428.61**	**8,908.36**	**9,927.21**	**10,836.16**		
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	**प्रस्तावित ब.अ.**	2,589.00	2,646.91	3,200.00	3,360.00	3,832.50		
		अनुमोदित ब.अ.	2,575.00	3,150.00	3,528.00	3,870.00	3,168.50	(+)17.73	(+)27.95
		वास्तविक	2,549.15	2,892.45	3,338.40	3,443.51	4,054.01		
4.	विद्युत कर तथा शुल्क	**प्रस्तावित ब.अ.**	715.00	1,196.00	1,400.00	1,420.00	1,521.00		
		अनुमोदित ब.अ.	820.00	1,100.00	1,400.00	1,575.00	1,650.00	(+)12.94	(+)2.36
		वास्तविक	1,020.44	1,312.93	1,372.84	1,495.48	1,688.95		
5.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	**प्रस्तावित ब.अ.**	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,320.00	1,425.00		
		अनुमोदित ब.अ.	1,150.00	1,250.00	1,350.00	1,485.00	1,550.00	(–)1.15	(–)22.74
		वास्तविक	990.24	1,023.33	1,185.22	1,211.35	1,197.47		
6.	माल तथा यात्री कर[7]	**प्रस्तावित ब.अ.**	1,102.44	1,087.26	1,080.62	1,188.68	1,196.94		
		अनुमोदित ब.अ.	1,192.00	1,335.00	1,441.80	1,563.77	1,767.06	(–)64.36	(–)72.97
		वास्तविक	945.44	981.88	1,040.26	1,340.35	477.66		
7.	वाहन कर	**प्रस्तावित ब.अ.**	618.58	699.63	761.83	950.40	1,050.00		
		अनुमोदित ब.अ.	731.38	800.00	864.00	954.11	1,200.00	(+)19.77	(–)1.67

---

4 वर्ष 2013–14 से 2016–17 के लिए मुख्य शीर्ष ''राज्य वस्तु एवं सेवा कर'' के प्रस्तावित, अनुमोदित और वास्तविक कालम में दिये गए आंकड़ें को 'लागू नहीं' दर्शाया गया है क्योंकि राज्य वस्तु एवं सेवा कर 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। राज्य वस्तु एव सेवा कर के पूर्व की अवधि 01.04.2017 से 30.06.2017 तथा बाद की अवधि 01.07.2017 से 31.03.2018 तक है। वस्तु एवं सेवा कर में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और शौचालय तैयारी अधिनियम के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी.वी.डी), सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे की मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर एवं क्रय कर को शामिल किया गया है।

5 राज्य वस्तु एवं सेवा कर में राशि ₹ 4,386.56 करोड़ के प्राप्ति के अतिरिक्त, भारत सरकार से अवधि 2017–18 में राज्य वस्तु एव सेवा कर पर क्षतिपूर्ति राशि ₹ 1,483.00 करोड़ प्राप्त हुए थे।

6 बजट अनुमान पूरे वर्ष के लिए तैयार किया गया था परंतु 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ, इसलिए 2017–18 की वास्तविक प्राप्ति की तुलना बजट अनुमान से नहीं किया जा सकता है।

7 2017–18 की अवधि के दौरान माल तथा यात्री कर का प्रमुख भाग (93.68 प्रतिशत) प्रवेश कर से है, जिसे समाप्त कर 01.07.2017 से वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर दिया गया है।

		वास्तविक	651.07	703.48	829.22	985.27	1,180.01		
8.	भू–राजस्व	**प्रस्तावित ब.अ.**	292.21	459.45	468.80	496.80	550.00	(–)11.37	(–)25.60
		अनुमोदित ब.अ.	376.00	460.00	496.80	550.00	600.00		
		वास्तविक	226.06	331.56	363.84	503.66	446.41		
9.	अन्य कर राजस्व [8]	**प्रस्तावित ब.अ.**	24.16	33.73	32.29	35.28	33.83	(–)63.50	(–)65.30
		अनुमोदित ब.अ.	19.91	31.26	7.25	37.85	40.38		
		वास्तविक	30.80	33.02	36.72	38.38	14.01		
योग		**प्रस्तावित ब.अ.**	**14,351.88**	**16,341.92**	**17,414.47**	**18,969.18**	**20,050.29**	**(+)5.01**	**(–)25.30**
		अनुमोदित ब.अ.	**15,300.29**	**17,926.26**	**20,085.85**	**21,964.10**	**26,633.46**		
		वास्तविक	**14,342.71**	**15,707.26**	**17,074.86**	**18,945.21**	**19,894.68**		

(स्रोतः वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के बाद, राज्य के समग्र राजस्व प्रतिशत के संदर्भ में 12.84 प्रतिशत और वास्तविक रूप से ₹ 2,433 करोड़ (वस्तु एवं सेवा कर के क्षतिपूर्ति राशि ₹ 1,483 करोड सहित) की वृद्धि हुई। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु एवं सेवा कर कार्यान्वयन से राजस्व संग्रह में पर्याप्त वृद्धि हुई।

1.2.3 वर्ष 2017–18 में शासन द्वारा विभिन्न करेतर राजस्व प्राप्तियों का चित्रमय प्रदर्शन **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: वर्ष 2017–18 के करेतर राजस्वों का विच्छेद
(₹ करोड़ में)

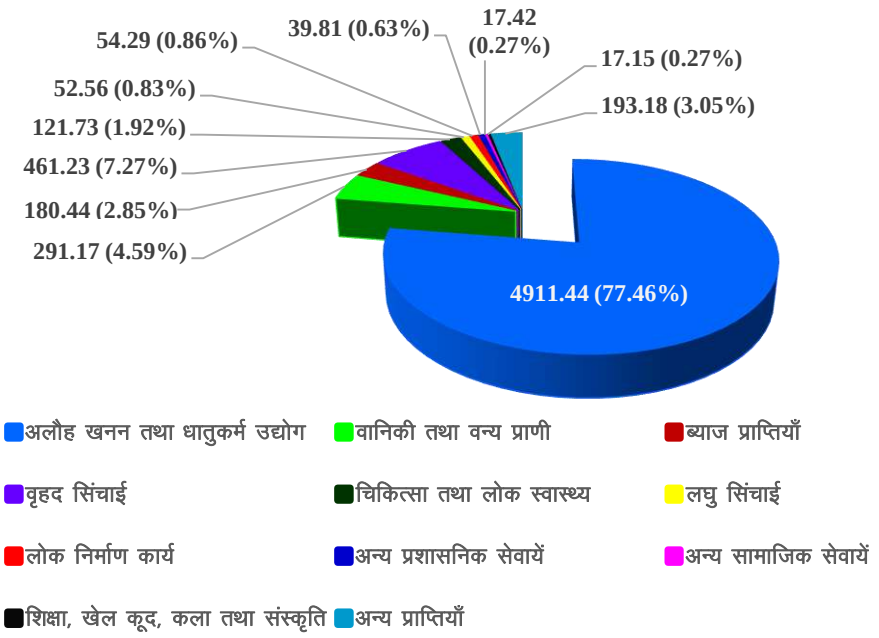

2013–18 की अवधि के दौरान उठाए गए करेतर राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

[8] 'अन्य' में वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैः होटल प्राप्ति कर (₹ 3.70 करोड़); आय और व्यय पर अन्य कर (₹ 0.17 करोड़) और वस्तुओं और अन्य सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 10.14 करोड़)।

तालिका 1.3: शासन द्वारा उदग्रहीत करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व शीर्ष		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	वर्ष 2016–17 की तुलना में 2017–18 वृद्धि (+) या कमी (–) का प्रतिशत	वर्ष 2017–18 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत
1	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	**ब.अ.**	3,510.00	4,100.00	7,000.00	5,500.00	5,600.00	(+)18.59	(–)12.30
		वास्तविक	3,236.01	3,572.68	3,709.52	4,141.47	4,911.44		
2	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**ब.अ.**	450.00	520.00	500.00	550.00	600.00	(–)28.13	(–)51.47
		वास्तविक	405.91	348.72	409.75	405.15	291.17		
3	ब्याज प्राप्तियाँ	**ब.अ.**	364.14	323.40	260.67	249.38	137.25	(+)14.75	(+)31.47
		वास्तविक	380.91	171.89	108.23	157.24	180.44		
4	वृहद सिंचाई	**ब.अ.**	340.31	413.55	389.34	586.47	703.68	(+)5.46	(–)34.45
		वास्तविक	339.82	410.95	502.17	437.35	461.23		
5	लघु सिंचाई	**ब.अ.**	853.04	561.50	277.47	288.34	288.34	(–)32.69	(–)57.78
		वास्तविक	407.81	127.23	121.91	180.84	121.73		
6	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	**ब.अ.**	14.18	14.80	16.22	15.93	29.33	(+)13.03	(+)79.20
		वास्तविक	19.84	20.16	43.15	46.50	52.56		
7	लोक निर्माण कार्य	**ब.अ.**	12.80	18.93	21.77	43.72	73.70	(+)32.03	(–)26.34
		वास्तविक	21.21	39.21	42.73	41.12	54.29		
8	अन्य प्रशासनिक सेवायें	**ब.अ.**	19.29	16.06	30.40	23.69	65.43	(+)8.59	(–)39.16
		वास्तविक	38.20	36.45	65.52	36.66	39.81		
9	अन्य सामाजिक सेवायें	**ब.अ.**	1.00	10.00	6.26	4.30	30.00	(–)39.32	(–)41.93
		वास्तविक	64.34	41.74	29.15	28.71	17.42		
10	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	**ब.अ.**	4.01	4.65	5.65	7.60	6.97	(–)36.58	(+)146.05
		वास्तविक	6.78	30.78	13.07	27.04	17.15		
11	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[9]	**ब.अ.**	503.23	201.73	155.21	150.71	169.50	(+)15.56	(+)13.97
		वास्तविक	180.34	130.10	169.59	167.17	193.18		
योग		**ब.अ.**	**6,072.00**	**6,184.62**	**8,662.99**	**7,420.14**	**7,704.20**	**(+)11.84**	**(–)17.70**
		वास्तविक	**5,101.17**	**4,929.91**	**5,214.79**	**5,669.25**	**6,340.42**		

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

[9] अन्य करेतर प्राप्तियों में वर्ष 2017–18 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित है: लाभांश तथा लाभ (₹ 4.80 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 10.72 करोड़); पुलिस (₹ 17.08 करोड़); जेल (₹ 6.38 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 3.43 करोड़); पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 10.33 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ -0.29 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.06 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 7.99 करोड़); आवास (₹ 3.94 करोड़); नगर विकास (₹ 31.37 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.06 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 20.61 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 3.46 करोड़); फसल कृषि कर्म (₹ 12.22 करोड़); पशुपालन (₹ 7.02 करोड़); मछली पालन (₹ 4.45 करोड़); खाद्य भंडारण तथा भांडागारण (₹ 0.68 करोड़); सहकारिता (₹ 2.57 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.33 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 8.40 करोड़); मध्यम सिंचाई (₹ 5.91 करोड़); ऊर्जा (₹ 0.03 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 4.83 करोड़); उद्योग (₹ 10.55 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.30 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 2.46 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 12.49 करोड़)।

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता खण्ड–1 के नियम 192 के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदाय किये गये जानकारी के आधार पर वित्त विभाग अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों के विवरण को तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। वित्त विभाग को प्रदाय किये गये विवरणों के सही होने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग का है।

वर्ष 2017–18 के छः मुख्य प्रशासनिक विभागों[10], के राजस्व अनुमानों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहन कर, विद्युत कर तथा शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, माल तथा यात्री कर एवं भू–राजस्व के अन्तर्गत प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट अुनमान से अत्यधिक था। परिणामस्वरूप आबकारी विभाग एवं विद्युत कर तथा शुल्क को छोड़कर शेष विभागों में प्राप्ति, बजट अनुमान के विरूद्ध 1.67 से 72.97 प्रतिशत तक कम रहा जबकि आबकारी विभाग में प्राप्ति, बजट अनुमान की तुलना में बहुत अधिक (27.95 प्रतिशत) थी।

आबकारी विभाग के वर्ष 2017–18 से संबंधित राजस्व अनुमानों की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच (अगस्त 2019) की गई क्योंकि आबकारी विभाग द्वारा प्रस्ताबित बजट एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित बजट में उल्लेखनीय भिन्नता थी।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि विभाग ने वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान के आधार पर वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान तैयार किया और वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान को पाँच प्रतिशत बढ़ा दिया। आगे विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 26 इकाईयों में से 20 इकाईयों द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान के परीक्षण पर यह देखा गया कि अधीनस्थ कार्यालयों ने वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमानों कि तुलना में सात प्रतिशत कि वृद्धि कर बजट अनुमान (2017–18) का प्रस्ताव किया था। परंतु वित्त विभाग ने विभाग के प्रस्तावित बजट अनुमान को 17.33 प्रतिशत कम कर दिया। प्रमुख सचिव, वित्त (जुलाई 2019) एवं अन्य स्तरों पर लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार औपचारिक अनुरोध करने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने से लेखापरीक्षा द्वारा इतने अधिक अंतर के औचित्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

संबंधित विभागों द्वारा अंतर के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

(अ) वर्ष 2016–17 की तुलना में वर्ष 2017–18 में प्राप्तियों के अंतर के कारण:

कर राजस्व:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर: वृद्धि (9.16 प्रतिशत) 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन होने के कारण हुई।

राज्य उत्पाद शुल्क: वृद्धि (17.73 प्रतिशत) नई आबकारी नीति 2017 के सफल क्रियान्वयन के कारण हुई। नई आबकारी नीति के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, जिससे अवैध मदिरा की बिक्री में कमी आयी एवं मदिरा पर काउंटर वैलिंग डयूटी का आरोपण हुआ।

विद्युत कर तथा शुल्क: वृद्धि (12.94 प्रतिशत) उद्योगों द्वारा विद्युत के खपत में वृद्धि, उद्योगों से लंबित राशि की वसूली एवं 2017–18 में विद्युत ऊर्जा प्रभार में वृद्धि के कारण हुई।

माल तथा यात्री कर: कमी (64.36 प्रतिशत) प्रवेश कर का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित होने के कारण हुई।

---

[10] वाणिज्यिक कर, आबकारी, पंजीयन, ऊर्जा, परिवहन और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

वाहन करः वृद्धि (19.77 प्रतिशत) वाहनों के पंजीयन में वृद्धि (13 प्रतिशत), तिमाही कर एवं जीवनकाल करों में वृद्धि होने के कारण हुई।

भू–राजस्वः कमी (11.37 प्रतिशत) नक्सल एवं सूखा (21 जिलों के 96 तहसील) प्रभावित स्थानों से राजस्व की वसूली न होने, डायवर्सन/नजूल प्रकरणों में कमी एवं दर पुनरीक्षण नहीं होने के कारण हुई।

करेतर राजस्व

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः वृद्धि (18.59 प्रतिशत) विगत वर्ष की तुलना में कोयला (2.88 प्रतिशत), लौह अयस्क (11.19 प्रतिशत) और चूना पत्थर (13.89 प्रतिशत) के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई।

वानिकी तथा वन्य प्राणीः कमी (28.13 प्रतिशत) 13 संभागों में कार्य आयोजना की मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई जिससे कूपों में कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका।

लघु सिंचाईः कमी (32.69 प्रतिशत) कुछ तहसीलों में सूखे की घोषणा के कारण हुई जहाँ जल शुल्क की वसूली रोक दी गई थी।

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्यः वृद्धि (13.03 प्रतिशत) आवास सुविधाओं और दवाओं की बिक्री आदि के बदले में रोगी से प्राप्त राजस्व के कारण हुई।

अन्य सामाजिक सेवायेंः कमी (39.32 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पोषण और कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं से संबंधित राशि के कम जमा होने के कारण हुई।

शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृतिः मैसर्स एवरोन एजुकेशन लिमिटेड से ₹ 3.44 करोड़ की सुरक्षा निधि को वर्ष 2016–17 में जब्त कर लिया गया था। इसलिए विगत वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ अधिक थी और इस वर्ष प्राप्तियों में कमी (36.58 प्रतिशत) आयी।

(ब) वर्ष 2017–18 में ब.अ. एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतर के कारणः

कर राजस्वः

राज्य उत्पाद शुल्कः वृद्धि (27.95 प्रतिशत) नई आबकारी नीति 2017 के सफल कार्यान्वयन के कारण हुई। नई आबकारी नीति के कारण छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, जिससे अवैध मदिरा की बिक्री में कमी आयी एवं मदिरा पर काउंटर वैलिंग डयूटी का आरोपण हुआ।

स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्कः कमी (22.74 प्रतिशत) पाँच डिस्मिल से कम भूमि का पंजीकरण न होने एवं भुइयां[11] अभिलेख के साथ मानचित्र–खसरा के मिलान न होने के कारण हुई।

माल तथा यात्री करः कमी (72.97 प्रतिशत) प्रवेश कर का वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित होने के कारण हुई।

भू–राजस्वः कमी (25.60 प्रतिशत) नक्सल एवं सूखा (21 जिलों के 96 तहसील) प्रभावित स्थानों से राजस्व की वसूली न होने, डायवर्सन/नजूल प्रकरणों में कमी एवं दर पुनरीक्षण नहीं होने के कारण हुई।

करेतर राजस्वः

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः ब.अ. के विरूद्ध कमी (12.30 प्रतिशत) कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट के उत्पादन लक्ष्य की गैर–उपलब्धि के कारण हुई।

[11] भुइयां छत्तीसगढ़ राज्य का एक भू–अभिलेख कम्प्यूटरीकरण परियोजना है।

वानिकी तथा वन्य प्राणी: ब.अ के विरूद्ध कमी (51.47 प्रतिशत) 13 संभागों में कार्य योजना को मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई, जिसके कारण नियत कूपों में कार्य निष्पादित नहीं किया गया।

वृहद एवं लघु सिंचाई: ब.अ के विरूद्ध क्रमशः 34.45 प्रतिशत और 57.78 प्रतिशत की कमी कुछ तहसीलों में सूखे की घोषणा के कारण हुई जहाँ जल शुल्क की वसूली को रोक दिया गया था।

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य: वृद्धि (79.20 प्रतिशत) आवास सुविधाओं और दवाओं की बिक्री आदि के बदले में रोगी से प्राप्त राजस्व के कारण हुई।

1.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2018 की स्थिति में छः विभागों का बकाया राजस्व ₹ 3,545.13 करोड़ था, जिसमें ₹ 1,314.56 करोड़ (37.08 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका 1.4** में वर्णन किया गया है:

तलिका 1.4: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2018 तक बकाया राषि	31 मार्च 2018 तक पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राषि	बकाया प्रकरणों की वस्तु–स्थिति/चरण के संबंध में विभाग का उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,459.64	1,074.29	अदालतों में लंबित मामले (₹ 240.56 करोड़); बकाया करदाताओं की चल/अचल संपत्तियों की जानकारी की अनुपलब्धता (₹ 223.93 करोड़); न्यायालय से रोक (₹ 572.66 करोड़); बीमार उद्योग (₹ 7.55 करोड़); अपलेखन (₹ 2.20 करोड़); अपील एवं संशोधन में लंबित (₹ 123.75 करोड़); फर्मों का व्यवसाय बंद (₹ 375.44 करोड़); अन्य राज्यों को जारी किए गए आर आर सी (₹ 209.81 करोड़) और वृत्त कार्यालयों द्वारा ₹ 703.74 करोड़ की वूसली की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने आगे कहा (अप्रैल 2019) कि बकाया राजस्व की वसूली भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। विभाग ने आगे कहा (अगस्त 2019) कि ₹ 1385.35 करोड़ जो विगत पाँच वर्षों के दौरान अर्जित किया गया है, उनके कर निर्धारण आदेशों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त मांग के कारण था।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	51.20	26.49	राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी किया (₹ 47.03 करोड़); उच्च न्यायालय द्वारा रोक (₹ 4.17 करोड़)। विभाग ने कहा (मार्च 2019) कि जिलों द्वारा भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार राजस्व की बकाया राशि की वसूली की जा रही है।
3.	विद्युत कर तथा शुल्क	951.63	189.58	आरआरसी जारी (₹ 211.53 करोड़); न्यायालयों में लंबित (₹ 192.01 करोड़)। विभाग द्वारा शेष राशि ₹ 548.09 करोड़ की स्थिति नहीं दी गई।
4.	वाहन कर	27.72	8.06	न्यायालयों में लंबित (₹ 0.84 करोड़)। विभाग ने ₹ 26.88 करोड़ की शेष राशि की स्थिति प्रदान नहीं की। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि परिवहन

				अधिकारी नियमित रूप से वाहन मालिकों को बकाया कर का भुगतान करने के लिए नोटिस देते हैं। बकाया कर की वसूली के लिए चेक–पोस्ट/उड़न दस्ता के अधिकारियों को बकाया करदाताओं की सूची दी गई है।
5.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	54.17	15.37	आरआरसी जारी (₹ 45.00 करोड़); न्यायालयों में लंबित (₹ 3.70 करोड़); न्यायिक/अपीलीय/ उच्च न्यायालय द्वारा रोक (₹ 5.47 करोड़)। इसके अलावा, विभाग ने कहा कि जिला पंजीयक (जि.प.) द्वारा मांग के आधार पर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
6.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.77	0.77	विभाग ने कहा कि विशेष अभियान द्वारा खनन अधिकारियों को बकाया वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की समीक्षा बैठक में, जिलों को निर्देश दिए गए है कि अत्यंत पुराने बकाया राशि के अपलेखन के लिए प्रस्ताव भेजें।
योग		**3,545.13**	**1,314.56**	

(स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016–17) की थी कि विभागों द्वारा समय समय पर बकाया वसूली के परिसमापन एवं उसकी समीक्षा हेतु डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन शासन ने अनुशंसा का पालन नहीं किया क्योंकि यह देखा गया कि वन और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग (आरडीएम) बकाया वसूली (2017–18) से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रदान करने में विफल रहा एवं विगत वर्ष की तुलना में उपरोक्त छः विभागों के राजस्व का बकाया ₹ 2,690.26 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,545.13 करोड़ हो गया।

1.4 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

1.4.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2018 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि 2,600 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 10,592 कंडिकायें जिसमें राशि ₹ 9,194.44 करोड़ के सम्भावी राजस्व सन्निहित है, जूलाई 2019 तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विवरण नीचे **तालिका 1.5** में दर्शित है:

तालिका 1.5: विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति	नि.प्र. का प्रकार	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	**राज.**	488	3,255	595.11
			व्यय	40	74	5.95
2.	आबकारी विभाग	राज्य उत्पाद	**राज.**	147	363	2,100.91
		मनोरंजन कर	**राज.**	94	149	4.10
		उत्पाद एवं मनोरंजन कर	**व्यय**	34	63	27.63
3.	पंजीयन विभाग	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	**राज.**	241	660	99.33
			व्यय	7	19	3.81
4.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	भू–राजस्व	**राज.**	596	1,884	1,100.87
			व्यय	47	120	13.82
5.	परिवहन	वाहन कर	**राज.**	179	1,350	208.45
			व्यय	46	101	0.21
6.	खनिज साधन	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	**राज.**	170	685	1,412.24
			व्यय	36	64	308.46
7.	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**राज.**	379	1,123	1,265.23
			व्यय	435	2,119	934.72
8.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	**राज.**	18	81	1,757.00
			व्यय	5	17	5,333.35
9.	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	**राज.**	288	1,042	651.20
			व्यय	1	10	0.13
			राज.	**2,600**	**10,592**	**9,194.44**
			व्यय	**651**	**2,587**	**6,628.08**
योग				**3,251**	**13,179**	**15,822.52**

राज.–राजस्व

वर्ष 2017–18 के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा के 81 निरीक्षण प्रतिवेदनों से 49[12] निरीक्षण प्रतिवेदनों (60.49 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए है।

अनुशंसा:

शासन ऐसे तंत्र पुरःस्थापित करे जिससे यह सुनिश्चित हो कि विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शीघ्र प्रतिक्रिया कर, सुधारात्मक कार्यवाही करे एवं लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करे ताकि निरीक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण शीघ्र किया जा सके।

1.4.2 तथ्यात्मक विवरण एवं प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार द्वारा सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर ध्यान आकर्षित करने हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाली प्रारूप कंडिकाओं के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, जिसका उत्तर छः सप्ताह

[12] वाणिज्यिक कर–13; परिवहन–05; वन–15; पंजीयन–03; विद्युत–01; आबकारी–02; राजस्व एवं आपदा प्रबंधन–02 और खनिज साधन–08

के भीतर देने हेतु निवेदन किया जाता है। शासन/विभागों से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवदेन की संबंधित कंडिकाओं के अंत में इंगित किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को जारी किए गए 110 तथ्यात्मक विवरण में से 60 तथ्यात्मक विवरणों (54.55 प्रतिशत) के उत्तर (जुलाई 2019) प्राप्त नहीं हुए।

13 कंडिकाओं तथा वस्तु एंव सेवा कर में संक्रमण की तैयारी जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को 2017–18 में भेजा गया। हालांकि, लेखापरीक्षा को शासन (जुलाई 2019) से आठ प्रारूप कंडिकाओं (57.14 प्रतिशत) के जवाब नहीं मिले। कंडिकाओं में विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों के जवाब जहाँ भी प्राप्त हुए हैं, उन्हें इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर टिप्पणी की गई है।

1.4.3 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना, निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की जाती है।

वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के आयोजन का विवरण **तालिका 1.6** में दर्शित है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा समिति की बैठक के आयोजनों का विवरण

विभाग	कुल आयोजित और तिथिवार बैठकों की संख्या	चर्चा की गई नि.प्र./कंडिकाओं की संख्या	कुल निराकृत नि. प्र./कंडिकाओं की संख्या	निराकृत कंडिकाओं का प्रतिशत	राशि (₹ लाख में)
वाणिज्यिक कर	1 (26/4/2017)	61	01/09	14.75	3.81
परिवहन	1 (15/11/2017)	80	निरंक/43	53.75	232.56
योग	**2**	**141**	**01/52**	**36.88**	**236.37**

वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग के दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग के मामलों में 61 कंडिकाओं पर चर्चा की गयी और नौ कंडिकाओं का निराकरण किया गया। परिवहन विभाग के मामलों में 80 कंडिकाओं पर चर्चा की गयी और 43 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

अनुशंसाः

शासन समस्त विभागों को निर्देशित करे कि समय–समय पर लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन कर, लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का निराकरण करे एवं सुनिश्चित करे कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु लेखापरीक्षा को प्रासंगिक अभिलेख अद्यतन कर प्रस्तुत करें।

1.4.4 लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर राजस्व/करेतर राजस्व कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे विभाग लेखापरीक्षा जाँच हेतु प्रासंगिक अभिलेख तैयार कर सके।

अवधि 2017–18 में 4,117 में से 87[13] कर निर्धारण नस्तियां, विवरणियाँ, प्रतिदाय, दस्तावेज, पंजियां एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त तथ्य

[13] वाणिज्यिक कर– 85 प्रकरण, वन (व्यय) – 01 और खनन– 01

को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित कर विभागों के सचिवों को प्रेषित किया गया था। उक्त किसी भी प्रकरण में कर के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना खतरों का सूचक है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा संव्यवहारों के सत्यता की प्रमाणिकता नहीं की जा सकी तथा धोखाधड़ी की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

अनुशंसाः

शासन ऐसे कदम उठाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत हो विशेषकर जब पर्याप्त सूचना दी जा चुकी हो एवं ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, जो लेखाापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहते है।

1.4.5 लेखापरीक्षा पर अनुसरण–सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गये निर्देशानसुार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर प्रस्तुत होने की स्थिति से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व क्षेत्र) की समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2017 तक की 218 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित कर) को राज्य विधानसभा में मार्च 2010 एवं जनवरी 2019 के मध्य प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2004–05 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 12 कंडिकाओं[14] की विभागीय टिप्पणी राज्य के राजस्व विभागों (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खनिज साधन, परिवहन, आबकारी एवं वन विभाग) से प्राप्त नहीं हुए हैं (अप्रैल 2019)।

लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा 2002–03 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 171 चुनिंदा कंडिकाओं में से 127 कंडिकाओं का चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं वर्ष 2002–03 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 50 कंडिकाओं पर अनुशंसा दी गयी। परंतु 2010–11 एवं 2017–18 के मध्य 17[15] अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से जूलाई 2019 तक कार्रवाई टीप (ए.टी.एन.) अप्राप्त है।

1.5 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण विगत 10 वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यवाही हेतु मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया हैं।

अनुवर्त्ती कंडिका 1.5.1 से 1.5.3 के अन्तर्गत मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के विगत 10 वर्षों में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये एवं ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2008–09 से 2012–13 एवं 2014–15 से 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये का आंकलन कर चर्चा की गयी है।

1.5.1 मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

---

[14] 2004–05 (01) एवं 2016–17 (11)

[15] खनिज साधन–01; आबकारी–02; ऊर्जा–01; परिवहन–03; वाणिज्यिक कर–06; जल संसाधन–02 एवं वन–02

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं और 31 मार्च 2018 के अनुसार उनकी स्थिति नीचे **तालिका 1.7** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	नि. प्र. के प्रकार	प्रारंभिक शेष			जोड़			निराकृत			अंतिम शेष		
			नि. प्र.	कंडिकायें	राशि	नि. प्र.	कंडिकायें	राशि	नि. प्र.	कंडिकायें	राशि	नि. प्र.	कंडिकायें	राशि
1.	2008–09	राज.	238	615	24.53	28	76	6.80	18	81	2.56	248	610	28.78
2.	2009–10	राज.	248	610	28.78	19	29	1.38	21	31	1.35	246	608	28.81
3.	2010–11	राज.	246	608	28.81	28	70	6.26	13	49	1.09	261	629	33.98
4.	2011–12	राज.	261	629	33.98	10	49	4.27	14	36	1.71	257	642	36.54
5.	2012–13	राज.	257	642	36.54	8	20	0.44	60	156	6.95	205	506	30.03
6.	2013–14	राज.	205	506	30.03	25	134	56.77	5	20	1.35	225	620	85.44
		व्यय	0	0	0.00	4	10	1.81	0	0	0	4	10	1.81
7.	2014–15	राज.	225	620	85.44	7	35	0.92	0	4	0.18	232	651	86.18
		व्यय	4	10	1.81	0	0	0.00	0	0	0.00	4	10	1.81
8.	2015–16	राज.	232	651	86.18	4	19	3.27	0	0	0	236	670	89.45
		व्यय	4	10	1.81	0	0	0.00	0	0	0.00	4	10	1.81
9.	2016–17	राज.	236	670	89.45	14	90	11.07	0	9	0.51	250	751	100.01
		व्यय	4	10	1.81	0	0	0.00	0	0	0.00	4	10	1.81
10.	2017–18	राज.	250	751	100.01	5	28	3.22	0	0	0	255	779	103.23
		व्यय	4	10	1.81	3	9	2.00	0	0	0.00	7	19	3.81

शासन पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु विभाग एवं महालेखाकार के मध्य लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करता है। तथापि विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित नहीं की गयी।

1.5.2 स्वीकृत प्रकरणों की वसूली

विगत 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकायें जो मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई तथा वसूल की गई राशि नीचे **तालिका 1.8** में वर्णित है:

तालिका 1.8: स्वीकृत प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सम्मिलित की गई कंडिकाओं की संख्या	राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की राशि	वसूल की गई राशि
2008–09	4	1.59	2	1.14	0.39
2009–10	1	2.17	निरंक	निरंक	0.80
2010–11	4	1.87	2	0.61	0.17
2011–12	6	0.97	निरंक	0.06	निरंक
2012–13	1	80.40	निरंक	67.63	0.20
2014–15	5	1.28	निरंक	0.01	0.07

2015–16	4	1.91	निरंक	निरंक	निरंक
योग	**25**	**90.19**	**4**	**69.45**	**1.63**

1.5.3 शासन/विभागों द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का प्रारूप संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन नि.ले.प. पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मत को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया जाता है।

वर्ष 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा ''मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण'' के अनुशंसाओं पर अनुपालन एवं मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग से मार्च 2019 में प्राप्त उत्तर नीचे **तालिका 1.9** में वर्णित है:

तालिका 1.9: अनुशंसाओं की स्थिति का विवरण

स. क्र.	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
1.	शासन को बजट मैन्युअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बजट अनुमान की तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए।	विभाग ने कहा कि वे प्रावधानों और मार्गदर्शिकाओं का पालन कर रहे हैं। हालाँकि, सरकार द्वारा अनुमोदित ब.अ. की तुलना में 2017–18 के दौरान वास्तविक प्राप्ति 22.74 प्रतिशत कम थी।
2.	विभाग बकाया राजस्व की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाये, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शा रहा है।	विभाग ने कहा कि उन्होंने राजस्व की बकाया राशि को वसूलने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017–18 में राजस्व के बकाया में 214 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
3.	शासन संबंधित अधिकारियों द्वारा विहित निरीक्षण/स्थल निरीक्षण में संहितीय प्रावधानों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने बाबत विचार करें।	विभाग ने कहा कि उन्होंने जिला पंजीयक (जि.पं.)/उप पंजीयक (उ.पं.) को निर्देश दिया है कि संहितीय प्रावधानों/निर्देशों के अनुसार निर्धारित मासिक निरीक्षण/स्थल निरीक्षण करें और हर महीने उसकी समीक्षा की जा रही है।
4.	शासन एक उचित तंत्र अपनाने पर विचार कर सकती है जिससे लोक कार्यालयों का सामयिक निरीक्षण और अन्य दूसरे विभागों से आवश्यक समन्वय सुनिश्चित हो जिससे मुद्रांक शुल्क प्राप्त हो सके।	विभाग ने कहा कि निर्धारित तंत्र अस्तित्व में है। जिला स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि उक्त तंत्र को लागू करें और मुद्रांक शुल्क (मु. शु.) का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यवाही करें।
5.	शासन औद्योगिक नीति के शर्तों की पूर्ति के संबंध में मुद्रांक शुल्क की छूट देने के पहले उद्योग विभाग और पंजीकरण विभाग के मध्य उचित समन्वय स्थापित करें।	विभाग ने कहा कि उद्योग विभाग के समन्वय से कार्यवाही की जा रही है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं है क्योंकि मु.शु. के अनियमित छूट के मामलों को लगातार देखा गया है।
6.	शासन एक ऐसे तंत्र की स्थापना करे जिसमें मुद्रांक शुल्क की छूट से संबंधित	विभाग ने कहा कि उक्त तंत्र अस्तित्व में है। यद्यपि तंत्र अस्तित्व में है, छूट की शर्त का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि

स. क्र.	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
	विवरण/लिखत समयावधि में प्रस्तुत की जावे।	लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे मामले देखे गये जहां उद्योगों को अनियमित छूट प्रदान की गई है।
7.	शासन राजस्व के हित में जिला पंजीयक द्वारा निर्णीत आदेशों की पुनरीक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाये।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है जिसमें यदि उप पंजीयक (उ.पं.), जिला पंजीयक (जि.पं.) के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उ.पं.,मंडल आयुक्त या राजस्व बोर्ड में अपील कर सकता है।
8.	शासन स्पष्ट प्रावधान एवं मुख्य मार्ग का मापदण्ड, लिखतों का पंजीयन जहाँ एक क्रेता द्वारा एक विक्रेता से भूमि क्रय को दो अलग–अलग लिखतों में निष्पादित किया जाता है तो मार्गदर्शिका में स्पष्ट प्रावधन जारी करें, जिससे सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण बाबत् राजस्व की सुरक्षा की जा सके।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है और मुख्य सड़क के मापदंड के प्रावधान प्रत्येक वर्ष के मार्गदर्शिका में उल्लेखित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया है कि इसी तरह के कंडिका अभी भी देखे जा रहे है और प्रत्येक वर्ष के मार्गदर्शिका में मुख्य सड़क के स्पष्ट प्रावधानों और मापदंड़ को शामिल नहीं किया जा रहा है।
9.	शासन जब एक से अधिक विक्रेताओं द्वारा एक दस्तावेज से भूमि विक्रय किये जाने पर बाजार मूल्य निर्धारण हेतु स्पष्टीकरण जारी करें।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है और त्वरित कार्रवाई के लिए कानूनी प्रावधानों का उल्लेख प्रत्येक वर्ष के मार्गदर्शिका में किया गया है। हालांकि, इसी तरह के कंडिका अभी भी पायी जा रही है।
10.	निधि के अवरूद्ध न होने के परिपेक्ष्य में शासन मुदांक के उपयोग पर अवधिवार निगरानी के लिए तंत्र के विकास पर विचार करें।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है।
11.	आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करें ताकि राजस्व वसूली समय से हो और मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण को टाला जा सके।	विभाग ने कहा कि तंत्र अस्तित्व में है और सख्त अनुपालन के लिए निर्देश (फरवरी 2019) फिर से जारी किए गए हैं।
12.	विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करे ताकि छूट प्रमाण पत्र जारी करने पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर राजस्व हानि को टाला जा सके।	विभाग ने कहा कि नियम/प्रावधानों में प्रावधान/निर्देश मौजूद हैं। इसके बावजूद, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा अनियमित छूट की अनुमति दी गई है।
13.	मुख्य मार्ग के मापदंड, जब एक क्रेता द्वारा भूमि दूसरे विक्रेता से क्रय कर दस्तावेजों का पंजीयन और निष्पादन दो अलग भागों में करने पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करें और जिला पंजीयकों द्वारा आवधिक पुनरीक्षण संबंधी निर्देश जारी करें।	विभाग ने कहा कि पंजीयन अधिनियम, नियमों और मार्गदर्शिका में उसी प्रकार के प्रावधान दिए गए है जिनकी समय–समय पर समीक्षा की जा रही है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया है कि इसी तरह के कंडिका अभी भी देखे जा रहे है और प्रत्येक वर्ष के मार्गदर्शिका में मुख्य सड़क के स्पष्ट प्रावधान और मानदंड़ को शामिल नहीं किया जा रहा है।

1.6 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, भू–राजस्व, विद्युत कर तथा शुल्क, खनिज प्राप्तियाँ, वाहन कर एवं वानिकी तथा वन्य प्राणी के 81 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा कर, शुल्क एवं फीस के अवरोपण/अनारोपण, राजस्व की हानि, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि के 22,998 प्रकरणों में कुल सन्निहित राशि ₹ 4,227.27 करोड़ की अनियमिततायें देखी गई। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारणों एवं अन्य कमियों के 17,162 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 702.81 करोड़ को स्वीकारते हुए 446[16] प्रकरणों में राशि ₹ 1.93 करोड़ की वसूली की गयी।

1.7 इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ''वस्तु एवं सेवा कर में संक्रमण की तैयारी'' पर एक लेखापरीक्षा सहित 14 कंडिकाओं में सन्निहित राशि ₹ 49.50 करोड़ सम्मिलित है। विभागों द्वारा ₹ 16.64 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए राशि ₹ 0.56 करोड़ की वसूली की गयी। विभागों द्वारा ₹ 11.03 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिये गये, जिसमें से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवरोपण (₹ 1.75 करोड़), बिना किसी वृक्षारोपण कार्य के चयनित क्षेत्र के उपचार पर अनियमित और अधिक व्यय (₹ 4.51 करोड़) एवं उस क्षेत्र में सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन पर परिहार्य व्यय, जहां पहले से ही कार्य निष्पादित किया गया था (₹ 3.97 करोड़) आदि सम्मिलित हैं। इसका वर्णन आगामी अध्याय 2 से 6 में किया गया है।

अधिकांश लेखापरीक्षा प्रेक्षण ऐसे प्रवृत्ति के समान त्रुटियों/लोप को दर्शाते है, जो राज्य शासन के विभागों के अन्य वैसे इकाईयों में हो सकते हैं, जिसे नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं किया गया है। शासन/विभागों को अन्य इकाईयों का आंतरिक जाँच कर सुनिश्चित करना चाहिए कि विभाग नियमों एवं आवश्यकता अनुसार कार्य कर रहे है।

---

[16] वाणिज्यिक कर विभाग (19 प्रकरण) = ₹ 58.24 लाख, परिवहन विभाग (424 प्रकरण) = ₹ 128.93 लाख और पंजीयन विभाग (03 प्रकरण) = ₹ 5.79 लाख